भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3923
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए
कृषि प्रसंस्करण संकुल योजना के अंतर्गत संकुल

3923. श्री जी. सेल्वम:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि प्रसंस्करण संकुल योजना के अंतर्गत अनुमोदित और संचालित संकुलों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) सरकार द्वारा लंबित संकुलों के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
(ग) किसानों की आय में सुधार पर उक्त योजना का क्या प्रभाव है;
(घ) योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;
(च) कृषि प्रसंस्करण संकुल योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सृजित नौकरियों की संख्या कितनी है;
(छ) सबसे अधिक रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है साथ ही इन संकुलों में नौकरियों के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किए गए प्रयास क्या हैं;
(ज) शीत संग्रहगार, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना सहित उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाएं क्या हैं; और
(झ) इन सुविधाओं को विकसित करने में आने वाली चुनौतियां क्या हैं साथ ही उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ग) से (ज): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2017 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन योजना (एपीसी योजना) को लागू कर रहा है। । इस योजना का उद्देश्य उत्पादन क्षेत्रों के करीब खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, खेत से उपभोक्ता तक एकीकृत और पूर्ण परिरक्षण अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना, उत्पादकों/किसानों के समूहों को अच्छी तरह से सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों से जोड़कर प्रभावी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाना है। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना निम्नलिखित दो घटकों के अनुसार अवसंरचना सुविधाएं स्थापित करने का प्रावधान करती है :

(क) आधारभूत सहायक अवसंरचना में साइट विकास जैसे औद्योगिक भूखंडों का विकास, चारदीवारी, सड़क, जल निकासी, जलापूर्ति, पावर बैकअप सहित विद्युत आपूर्ति, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, पार्किंग स्थल, धर्मकांटा, सामान्य कार्यालय स्थल, अग्निशमन, श्रमिक विश्राम कक्ष, सुरक्षा गार्ड कक्ष शामिल हो सकते हैं।

(ख) मुख्य अवसंरचना में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकिंग सुविधाएं, भाप उत्पादन बॉयलर, शुष्क गोदाम, शीत भंडारण, पूर्व-शीतलन कक्ष, राईपनिंग चैम्बर, आईक्यूएफ, विशेष पैकेजिंग, अन्य सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

यह योजना मैपिंग एक्सरसाईज के माध्यम से पहचाने गए बागवानी/कृषि उत्पादन के क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है, ताकि अधिशेष उत्पादन की हानि को कम किया जा सके और बागवानी/कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी और रोजगार का सृजन होगा।

अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 76 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 23 क्लस्टर पूरे हो चुके हैं या चालू हो चुके हैं।

इस योजना से अब तक कुल 85300 किसानों को लाभ मिला है और 4575 प्रत्यक्ष तथा 16825 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। मुख्य रोजगार सृजन निम्नलिखित राज्यों में हुआ है:

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रत्यक्ष रोजगार	अप्रत्यक्ष रोजगार	कुल रोजगार
1.	महाराष्ट्र	1217	3801	5018
2.	केरल	148	2990	3138
3.	गुजरात	733	2261	2647
4.	मध्य प्रदेश	461	1442	1903
5.	उत्तर प्रदेश	442	1384	1826

ए.पी.सी. योजना मांग आधारित योजना है और इस योजना के तहत प्रस्ताव ऑनलाइन अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। यह योजना राज्य/क्षेत्र विशेष नहीं है।

कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाएं किसी भी संस्था/संगठन जैसे सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारिता/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/निजी क्षेत्र की कंपनियां/साझेदारी फर्म/स्वामित्व फर्म द्वारा स्थापित की जा सकती हैं।

इस योजना में एसएचजी, एससी/एसटी, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और दुर्गम क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिसमें पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान/सब्सिडी का प्रावधान है, जबकि सामान्य श्रेणी के आवेदकों के मामले में, अनुदान पात्र परियोजना लागत का 35% है, जो अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये के अध्यधीन है। योजना के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों से प्रस्ताव के मामले में एससी/एसटी श्रेणी, एफपीओ और एसएचजी के आवेदक का संयुक्त निवल मूल्य मांगी गई अनुदान सहायता से कम नहीं होना चाहिए, जबकि सामान्य श्रेणी के आवेदकों के मामले में निवल मूल्य मांगी गई अनुदान सहायता से 1.5 गुना होना चाहिए। सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए कुल परियोजना लागत के 20% की तुलना में, कठिन क्षेत्रों या एससी/एसटी या किसान उत्पादक संगठनों या स्वयं सहायता समूहों के प्रस्तावों के लिए इक्विटी और सावधि ऋण कुल परियोजना लागत का कम से कम 10% होना चाहिए।

(ख) और (झ): एपीसी योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियां हैं - मुख्य रूप से पूर्वोत्तर/कठिन क्षेत्रों में कठिन स्थलाकृति, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र एजेंसियों से वैधानिक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने में विलंब, मुद्रास्फीति, इकाइयों की स्थापना/भूमि आवंटन आदि।

मंत्रालय ने अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे: -

I. कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता के लिए परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना;
II. प्रमोटरों को संबंधित प्राधिकरणों/राज्य सरकारों से आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने को सुविधाजनक करना;
III. मंत्रालय परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी मुद्दे उठाता है।
IV. अद्यतन तथ्य पत्रक/साइट दौरे के माध्यम से परियोजना की स्थिति पर नजर रखना।
V. औसतन , प्रत्येक कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर को एपीसी के अंदर लगभग 5-10 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करनी होती हैं। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के प्रमोटर जो कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर में इकाइयाँ स्थापित करने के इच्छुक हैं, वे सीईएफ़पीपीसी योजना के तहत एक से अधिक इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, ताकि एपीसी के अंदर कम से कम 5 इकाइयाँ स्थापित करने के मानदंड को पूरा किया जा सके।

*****